न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 205/14 **निर्णय दिनांकः** 25/10/17

1. मांगीलाल पुत्र मोखराम जाति बिश्नोई निवासी गांव बनिया तहसीलर नोखा व जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–04–2006
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 18–04–2006 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में रिजर्व होने के कारण खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 200/54 में 25 बीघा का दिनांक 23–03–2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिनांक 18–04–2006 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पेशी में ली जाकर अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए सूओमोटो खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को आवंटित रकबा मोहरबन्द गजट में होने के कारण भूमिहीन के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता था। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या उक्त रकबा सामान्य/भूमिहीन के तहत आवंटन हेतु उपलब्ध था अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—04—2006 के विरूद्व अपील दिनांक 10—09—14 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में होने के कारण अन्य को आवंटित हो चुकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—04—2006 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—09—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18—04—2006 को चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 200/54 में 25 बीघा भूमि का आवंटन भूमिहीन/सामान्य श्रेणी में किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) तत्पश्चात् अपीलांट का आवंटन दिनांक 18—04—2006 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सुओमोटो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को आवंटित आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन के तहत उपलब्ध न होकर मोहरबन्द गजट में आरक्षित है।

(3) प्रकरण में अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जॉच आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में उपलब्ध होने के आधार पर आवंटित की गई। उक्त आराजी मोहरबन्द गजट में आरक्षित थी, इसमें आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(4) अपीलांट को वर्ष 2002 में भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् करीब चार वर्ष के अंतराल के उपरान्त आवंटन

अधिकारी के आन्तरिक चक्षु जाग्रत होते है और स्वप्रेरणा से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट का आवंटन यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि आराजी जैर भूमिहीन की श्रेणी की न होकर मोहरगन्द गजट में आरक्षित है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच चार वर्ष पूर्व क्यों नहीं की गई?

(5) अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का आवांटन सूओमोटो खारिज किया गया है। विधि का यह सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को सूओ मोटो उसी स्थिति में खारिज किया जा सकता है जब अपीलांट स्वयं द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया हो, अथवा न्यायालय को गुमराह करके कोई आदेश पारित करवा गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे प्रतीत हो कि अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अथवा तथ्यों को छिपाया जाकर आदेश पारित करवाया गया हो। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा सूओमोटो आदेश पारित किया गया है स्वीकार योग्य नहीं है।

(6) इसी प्रकार किसी भी आदेश में पुर्नविचार (रिव्यू) उसी स्थिति में किया जा सकता है जब न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधि त्रूटि पाई जाती है, एवं निर्धारित समायावधि में ही प्रकरण में पुर्नविचार (रिव्यू) किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश में ऐसी किसी स्थिति का आभास होना नहीं पाया जाता है।

(7) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन/सामान्य श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(8) इस सबंध में तुलसाराम बनाम दूड़ाराम वगैरा 2001 आरआरसी 425–2001(2) आरआरटी 1087 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

" If a reason behind cancellation of allotment of land was mistake of an officer; It was held that allottee should not be made to suffer for the mistake committed by the officer"

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–04–2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.10.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर